

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 घर्यावरण परिसर अररा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दरभाष-0755-2427091

क्रमांक /16/टीसी/ बैतूल/उपां/नगानि/2017 भोपाल, दिनांक:- / /2018
प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला बैतूल (म.प्र.)।
2. सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, बैतूल (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, बैतूल
जिला बैतूल (म.प्र.)।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका, बैतूल (म.प्र.)।
जिला बैतूल (म.प्र.)।

विषय:- बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत (ग्राम-कोसमी, खसरा क्रमांक-117/1, 125, 126/1, 127/1, ग्राम- खकरा जामठी, खसरा क्रमांक-8)।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

पृ. क्रमांक 5530
प्रतिलिपि:- /16/टीसी/ बैतूल/उपां/नगानि/2017 भोपाल,

(राहुल जैन)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

दिनांक:- 3 / 10 / 2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(राहुल जैन)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेठा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक ०३ /०१/२०१८

क्रमांक ५८२ > /16/उपां/टीसी/बैतूल/ 2017 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बैतूल विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम-कोसमी तहसील बैतूल जिला बैतूल	117/1,	3.829	कृषि	औद्योगिक
		125,	0.344		
		126/1,	0.689		
		127/1,	0.324		
2	ग्राम- खकरा जामठी तहसील बैतूल जिला बैतूल	8	9.510 में से 2.75	कृषि	औद्योगिक
		योग:-	7.936 हेक्टेयर		

शर्तः- प्रश्नाधीन भूमि के मध्य से गुजरने वाले नाले की सीमा से दोनों को नौ-नौ मीटर हरित क्षेत्र हेतु भूमि सुरक्षित रखना अनिवार्य होगी। जो योजना के (अभिन्यास) के न्यूनतम खुले क्षेत्र में प्रदाणित नहीं होगी।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल तथा वेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(राहुल जैन)
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल